(25)

निग० 5652/2018/सतना/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

अधि० श्री जयराम विश्वकर्मा द्वारा पेश। 14-9-18

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

विद्यावाई पत्नी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 40 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम जीतनगर, तह0 मैहर, जिला सतना म0प्र0

——————— निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— सरमन पिता स्व0 श्री लालजी बढ़ई

2— आशाबाई पत्नी श्री सरमन बढ़ई।

3— श्री राम पिता स्व0 लालजी बढ़ई।

4— रामकली पत्नी श्री राम बढ़ई ।

5— पुरूषोत्तम उर्फ बल्लू पिता श्रीराम बढ़ई।

6— पुष्पेन्द्र पिता श्री सरमन बढ़ई सभी निवासीं ग्राम जीतनगर तह0 मैहर, जिला सतना (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध न्यायलय अपर आयुक्त महोदय रीवा लिंक कोर्ट सीधी/सतना के राजस्व प्रकरण कमाक 240/अपील/17—18 पारित आदेश दिनांक 18.07.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

1— यह कि निगराकार श्रीमती विद्याबाई विश्वकर्मा द्वारा भूमि खसरा कमांक 254 कुल करवा 0.042हे का अंश रकवा 0.021हे स्थित ग्राम

विद्या

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5652/2018/सतना/भू–रा0 जिला– सतना

विद्याबाई/ सरमन वगैरः

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जसराम विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 240/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	